


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937

No. 762]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 942(अ)- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) संशोधन भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 2009, की, स्तंभ 12 के अधीन सहायक इंजीनियर (विद्युत) के पद से संबंधित क्रम संख्या 06 के सामने, अनुसूची में, "प्रतिनियुक्ति" उप-शीर्ष के अधीन, मद के, उप-मद (ii) में, अंत में प्रोत्तभूत शब्द "या" के स्थान पर शब्द "और" रखा जाएगा।

[फा.सं. 1(2)/2009 कार्मिक- III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में सा. का.नि. 32 (अ), तारीख 14 जनवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :

- (i) सा.का.नि 75 (अ), तारीख 11 फरवरी, 2010;
- (ii) सा.का.नि 644 (अ), तारीख 23 जुलाई, 2010;
- (iii) सा.का.नि 32 (अ), तारीख 13 जनवरी, 2011;
- (iv) सा.का.नि 891 (अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2011;
- (v) सा.का.नि 337 (अ), तारीख 7 मई, 2012;
- (vi) सा.का.नि 492 (अ), तारीख 20 जून, 2012;
- (vii) सा.का.नि 871 (अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2014.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2015

G.S.R. 942(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2009, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'B' posts) Recruitment Amendment Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2009, in the Schedule, against serial number 06 relating to the post of Assistant Engineer (Electrical), under column 12, under the sub-heading "Deputation", in item (a), in sub-item (ii), for the word "or" occurring at the end, the word "and" shall be substituted.

[F.No.1 (2)/2009-Pers.III]
RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-Section (i), vide number G.S.R. 32(E), dated the 14th January, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) G.S.R. 75(E), dated 11th February, 2010;
- (ii) G.S.R. 644(E), dated 23rd July, 2010;
- (iii) G.S.R. 32(E), dated 13th January, 2011.
- (iv) G.S.R. 891(E), dated 21st December, 2011;
- (v) G.S.R. 337(E), dated 7th May, 2012;
- (vi) G.S.R. 492 (E), dated 20th June, 2012;
- (vii) G.S.R. 871(E), dated 2nd December, 2014.